राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 2122/2014/उदयपुर.

सुंदरलाल पुत्र श्री मांगीलाल चौधरी,
निवासी लसाड़िया तहसील धरियावद जिला उदयपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

1. उप–पंजीयक, लसाड़िया, जिला उदयपुर.
2. ललित कुमार चौधरी पुत्र श्री मांगीलाल चौधरी
   निवासी लसाड़िया तहसील धरियावद जिला उदयपुर. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री शशिकांत जोशी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/06/2017

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक), उदयपुर के प्रकरण संख्या 150/2011 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.10.2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खनिन विभाग द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 श्री ललित कुमार चौधरी पुत्र श्री मांगीलाल चौधरी निवासी उदयपुर के पक्ष में ग्राम देवला तहसील धरियावद जिला उदयपुर स्थित 10,000 वर्गमीटर भूमि का खनन पट्टा निष्पादित किया जाकर दिनांक 10.01.2000 को उप–पंजीयक कार्यालय धरियावद में पंजीबद्ध करवाया गया। तत्पश्चात् श्री ललित कुमार द्वारा दिनांक 21.08.2002 को उक्त खनन पट्टे की पॉवर ऑफ अटॉर्नी तीन वर्ष की अवधि के लिये अपने भाई श्री सुंदरलाल पुत्र श्री मांगीलाल चौधरी के पक्ष में रूपये 100/– मुद्रांक पत्र पर निष्पादित करते हुए उप–पंजीयक कार्यालय लसाड़िया में पंजीबद्ध करवाई गई, जिसे उप–पंजीयक द्वारा उसी दिन पंजीबद्ध कर पक्षकारों को लौटा दी गयी। महालेखाकार जांचदल की निरीक्षण अवधि 1/2000 से 12/2002 की अवधि में उक्त दस्तावेज को महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.7(52) जन/32189–623 दिनांक 01.10.99 के आलोक में ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेंट की श्रेणी में मानते हुए कन्वेंस की दर से मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता का आक्षेप किया गया। उक्त आक्षेप की पालना में उप–पंजीयक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रूपये 16,14,000/– प्रस्तावित करते हुए

लगातार.....2

रेफरेंस कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी अधीन आदेश दिनांक 08.10.2012 से रेफरेंस यथावत स्वीकार करते हुए प्रार्थी से कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 1,77,440/–, कमी पंजीयन शुल्क रूपये 16,040/– शास्ति रूपये 100/– कुल रूपये 1,93,580/– वसूल किये जाने के आदेश किये गये। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी प्रार्थना–पत्र एवं बहस के दौरान यह कथन किया गया कि लीजग्रहिता श्री ललित कुमार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत लीज की पॉवर ऑफ अटॉर्नी अपने भाई के पक्ष में केवल तीन वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित की गयी है। लीज की शेष सम्पूर्ण अवधि के लिये हस्तान्तरण किये जाने की स्थिति में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के परिपत्र दिनांक 01.10.1999 अनुसार कन्वेंस की दर से मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता बनती है। इस प्रकार महालेखाकार जांचदल द्वारा दस्तावेज का विधि अनुसार अवलोकन किये बिना आक्षेप किया गया है एवं इसी प्रकार उप–पंजीयक व कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा भी विधिक प्रावधानों का अवलोकन किये बिना केवलमात्र कागजी खानापूर्ति की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी अधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, इस प्रकार कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा साईक्लोस्टाईल्ड प्रोफार्मा में आदेश पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया अपास्तनीय है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश का समर्थन करते हुए प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 श्री ललित कुमार (लीजग्रहिता) द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण अपने भाई को लीज के संचालन हेतु **तीन वर्ष की अवधि के लिये** पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी गयी है, ना कि लीज की सम्पूर्ण अवधि के लिये पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी गयी है। ऐसी स्थिति में महालेखाकार जांचदल द्वारा

लगातार.....3

महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के परिपत्र दिनांक 01.10.1999 के आलोक में इसे ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेंट माना जाना विधिसम्मत नहीं है। विवादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी को नियमानुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क अदा किया जाकर उप–पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध करवाया गया है, जिस पर अब किसी प्रकार की देयता अवशेष नहीं रहती है। महालेखाकार जांचदल द्वारा उक्त पॉवर ऑफ अटॉर्नी को अविधिक रूप से ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेंट मानते हुए तद्नुसार कमी मुद्रांक का आक्षेप किया गया है, जिसकी पालना में उप–पंजीयक द्वारा रेफरेंस प्रेषित किये जाने में एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर प्रार्थी के विरूद्ध मांग सृजित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

7. फलतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश दिनांक 08.10.2012 अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा निष्पादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी को पूर्ण मुद्रांकित घोषित की जाकर, प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश की पालना में जमा करवाई गई राशि नियमानुसार बाद सत्यापन लौटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

7/6/2013

(के. एल. जैन)
सदस्य